

लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश

गौतम नगर, भोपाल-462 021

दूरभाष: 91-755-2583650, फ़ैक्स: 0755-2583651
ई-मेल: dpi mp@sancharnet.in


क्रमांक/स्था-2/सी/स्था.संशो./निर./29/11/ 1534

भोपाल, दिनांक 12/10/11

:: आदेश ::

श्रीमती आशा सरन, व्याख्याता (रसायन शास्त्र) शास. उमावि. राजाभोज 1100 क्वार्टर्स, भोपाल का प्रशासनिक स्थानांतरण संचालनालय लोक शिक्षण के आदेश क्रमांक/स्था-2/सी/स्था./15/2011/784-785 दिनांक 07.06.2011 के सरल क्रमांक 17 अनुसार शा. उमावि. इछावर, सीहोर के लिये किया गया था। इस स्थानांतरण आदेश के विरुद्ध श्रीमती सरन द्वारा एक अभ्यावेदन दिनांक 27.06.11 प्रस्तुत कर पारिवारिक कारणों से किया गया स्थानांतरण निरस्त करने का अनुरोध किया गया। स्थानांतरण नीति की कण्डिका 11 के अनुक्रम में प्रकरण समन्वय में मान. मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रकरण को समन्वय में विचार योग्य नहीं पाए जाने से किया गया स्थानांतरण यथावत रखने के निर्देश दिए गए हैं।

अतः श्रीमती आशा सरन, व्याख्याता (रसायन शास्त्र) शास. उमावि. राजाभोज 1100 क्वार्टर्स, भोपाल द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 27.6.11 अमान्य करते हुए इनका प्रशासनिक आधार पर जारी स्थानांतरण आदेश क्रमांक/स्था-2/सी/स्था./15/2011/784-785 दिनांक 7.6.2011 यथावत रखा जाता है।


आयुक्त

लोक शिक्षण, म.प्र.

भोपाल, दिनांक 12/10/11

पृ. क्रमांक/स्था-2/सी/स्था.संशो./निर./29/11/ 1535

प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक मान. मंत्रीजी स्कूल शिक्षा/राज्य मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.शासन मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय पत्तलन नयन भोपाल।
3. कलेक्टर जिला भोपाल/सीहोर, म.प्र.।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत भोपाल/सीहोर, म.प्र.।
5. संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण भोपाल संभाग, भोपाल म.प्र.।
6. जिला शिक्षा अधिकारी जिला भोपाल/सीहोर म.प्र. की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि तत्काल उक्तानुसार पालन कराकर पालन प्रतिवेदन से 07 दिवस की समयावधि में अवगत करायें।
7. प्राचार्य, शा. उमावि. राजाभोज 1100 क्वार्टर्स, भोपाल/शा. उमावि. इछावर, सीहोर, म.प्र.
8. श्रीमती आशा सरन, व्याख्याता (रसायन शास्त्र) शास. उमावि. राजाभोज 1100 क्वार्टर्स, भोपाल स्थानांतरित संस्था में 07 दिवस के अंदर उपस्थित होकर प्रतिवेदन प्राचार्य/जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से तत्काल उपलब्ध करावें।
9. स्टॉफ आफिसर आयुक्त लोक शिक्षण म.प्र. भोपाल।


आयुक्त

लोक शिक्षण, म.प्र.

लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश

गौतम नगर, भोपाल-462 021

दूरभाष : 0755-2583650, फ़ैक्स: 0755-2583651

ई-मेल - dpi mp@sancharnet.in

क्रमांक/स्था-2/सी/स्था.संशो./निर./29/11/ 1536 भोपाल, दिनांक 12/10/11

:: आदेश ::

श्री नरेन्द्र मिश्रा, व्याख्याता (रसायन) शास. क.उमावि. अमरपाटन, सतना का प्रशासनिक स्थानांतरण संचालनालय लोक शिक्षण के आदेश क्रमांक/स्था-2/सी/स्था./15/2011/784-785 दिनांक 07.06.2011 के सरल क्रमांक 05 अनुसार शा. उमावि. रहिकवार, सतना के लिये किया गया था। इस स्थानांतरण आदेश के विरुद्ध श्री मिश्रा द्वारा एक अभ्यावेदन दिनांक 26.06.11 प्रस्तुत कर पारिवारिक कारणों से किया गया स्थानांतरण निरस्त करने का अनुरोध किया गया। अभ्यावेदन पर विचार करते हुए किया गया स्थानांतरण निरस्त करने का प्रस्ताव समन्वय में मान. मुख्यमंत्री जी के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

उक्तानुसार प्राप्त अनुमोदन के प्रकाश में श्री नरेन्द्र मिश्रा, व्याख्याता (रसायन) शास. क.उमावि. अमरपाटन, सतना का प्रशासनिक आधार पर किये गये स्थानांतरण आदेश क्रमांक/स्था-2/सी/स्था./15/2011/784-785 दिनांक 7.6.2011 निरस्त करते हुए इनकी पदस्थापना यथावत शास. क. उमावि. अमरपाटन, सतना में मान्य की जाती है।

आयुक्त

लोक शिक्षण, म.प्र.

पृ. क्र./स्था-2/सी/स्था.संशो./निर./29/11/ 1537 भोपाल, दिनांक 12/10/11
प्रतिलिपि: -

1. निज सहायक मान. मंत्रीजी स्कूल शिक्षा/राज्य मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.शासन मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
3. कलेक्टर जिला सतना, म.प्र.।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सतना, म.प्र.।
5. संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा संभाग, रीवा म.प्र.।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला सतना की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि तत्काल उक्तानुसार पालन कराकर पालन प्रतिवेदन से 07 दिवस की समयावधि में अवगत करायें।
7. प्राचार्य, शास. क.उमावि. अमरपाटन, सतना/शा. उमावि. रहिकवार, सतना, म.प्र.।
8. श्री नरेन्द्र मिश्रा, व्याख्याता (रसायन) शास. क.उमावि. अमरपाटन, सतना म.प्र. प्रतिवेदन प्राचार्य/जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से तत्काल उपलब्ध करावें।
9. स्टॉफ आफिसर आयुक्त लोक शिक्षण म.प्र. भोपाल।

आयुक्त

लोक शिक्षण, म.प्र.

लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश

गौतम नगर, भोपाल-462 021

दूरभाष: 91-755-2583650, फ़ैक्स: 0755-2583651

ई-मेल: dpi mp@sanchamnet.in

क्रमांक/स्था-2/सी/स्था.संशो./निर./29/11/ ~~1238~~ ¹⁵²⁸ भोपाल, दिनांक 12.10.11

:: आदेश ::

श्रीमती अमीना सिद्धीकी, व्याख्याता (गृह विज्ञान) शास. म.ल.बा.उमावि. बरखेडा, भोपाल का संस्था में अतिशेष होने के कारण प्रशासनिक स्थानांतरण संचालनालय लोक शिक्षण के आदेश क्रमांक/स्था-2/सी/स्था./14/2011/ 745-746 दिनांक 04.06.2011 के सरल क्रमांक 05 अनुसार शा. उमावि. अकोदिया मण्डी, शाजापुर के लिये किया गया था । इस स्थानांतरण आदेश के विरुद्ध श्रीमती सिद्धीकी द्वारा एक अभ्यावेदन दिनांक 07.06.11 प्रस्तुत कर किया गया स्थानांतरण निरस्त करने का अनुरोध किया गया । श्रीमती सिद्धीकी का प्रकरण स्थानांतरण नीति की कण्डिका 11 के अनुक्रम में समन्वय में मान. मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत किया गया । प्रकरण को समन्वय में विचार योग्य नहीं पाए जाने से किया गया स्थानांतरण यथावत रखने के निर्देश दिए गए हैं ।

अतः श्रीमती अमीना सिद्धीकी, व्याख्याता (गृह विज्ञान) शास. म.ल.बा.उमावि. बरखेडा, भोपाल द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 07.06.11 अमान्य करते हुए इनका प्रशासनिक आधार पर जारी स्थानांतरण आदेश क्रमांक/स्था-2/सी/स्था./14/2011/745-746 दिनांक 04.06.2011 यथावत रखा जाता है ।




आयुक्त

लोक शिक्षण, म.प्र.

पृ. क्रमांक/स्था-2/सी/स्था.संशो./निर./29/11/ ~~1239~~ ¹⁵³⁹ भोपाल, दिनांक 12.10.11
प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक मान. मंत्रीजी स्कूल शिक्षा/राज्य मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.शासन मंत्रालय भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल ।
3. कलेक्टर जिला भोपाल/शाजापुर म.प्र. ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत भोपाल/शाजापुर म.प्र. ।
5. संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण भोपाल/उज्जैन म.प्र. ।
6. जिला शिक्षा अधिकारी जिला भोपाल/शाजापुर म.प्र. की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि तत्काल स्थानांतरण आदेश का पालन कराकर पालन प्रतिवेदन से 07 दिवस की समयावधि में अवगत करायें ।
7. प्राचार्य, शास. म.ल.बा.उमावि. बरखेडा, भोपाल/शा. उमावि. अकोदिया मण्डी, शाजापुर म.प्र. ।
8. श्रीमती अमीना सिद्धीकी, व्याख्याता (गृह विज्ञान) शास. म.ल.बा.उमावि. बरखेडा, भोपाल स्थानांतरित संस्था में 07 दिवस के अंदर उपस्थित होकर प्रतिवेदन प्राचार्य/जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से तत्काल उपलब्ध करावें ।
9. स्टॉफ आफिसर आयुक्त लोक शिक्षण म.प्र. भोपाल ।



आयुक्त

लोक शिक्षण, म.प्र.

लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश

गौतम नगर, भोपाल-462 021

दूरभाष : 0755-2583650, फ़ैक्स: 0755-2583651


ई-मेल - dpi mp@sancharnet.in

क्रमांक/स्था-2/सी/स्था.संशो./निर./29/11/ 1540 भोपाल, दिनांक 12.10.11

:: आदेश ::

श्रीमती रत्ना गोल्छा व्याख्याता (रसायन शास्त्र) शास. महाराजा शिवाजीराव उमावि. इंदौर का प्रशासनिक स्थानांतरण अनिशेष मानकर संचालनालय लोक शिक्षण के आदेश क्रमांक/स्था-2/सी/स्था./18/2011/1030-1031 दिनांक 11.07.2011 के सरल क्रमांक 01 अनुसार शा. बा.उमावि. सोनकच्छ, देवास के लिये किया गया था। इस स्थानांतरण आदेश के विरुद्ध श्रीमती गोल्छा द्वारा एक अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अतिशेष की स्थिति स्पष्ट करते हुए पारिवारिक कारणों से किया गया स्थानांतरण निरस्त करने का अनुरोध किया गया। अभ्यावेदन पर विचार करते हुए किया गया स्थानांतरण निरस्त करने का प्रस्ताव समन्वय में मान. मुख्यमंत्री जी के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

उक्तानुसार प्राप्त अनुमोदन के प्रकाश में श्रीमती रत्ना गोल्छा, व्याख्याता (रसायन शास्त्र) शास. महाराजा शिवाजीराव उमावि. इंदौर का प्रशासनिक आधार पर किया गया स्थानांतरण आदेश क्रमांक/स्था-2/सी/स्था./18/2011/1030-1031 दिनांक 11.07.2011 निरस्त करते हुए इनकी पदस्थापना यथावत शास. महाराजा शिवाजीराव उमावि. इंदौर में मान्य की जाती है।



आयुक्त


लोक शिक्षण, म.प्र.

भोपाल, दिनांक 12.10.11;

पृ. क्र./स्था-2/सी/स्था.संशो./निर./29/11/ 1541

प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक मान. मंत्रीजी स्कूल शिक्षा/राज्य मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.शासन मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
3. कलेक्टर जिला इंदौर/देवास, म.प्र.।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत इंदौर/देवास, म.प्र.।
5. संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण इंदौर/उज्जैन संभाग म.प्र.।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला इंदौर/उज्जैन की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार आदेश का पालन कराकर पालन प्रतिवेदन से 07 दिवस की समयावधि में अवगत कराएँ।
7. प्राचार्य, शास. महाराजा शिवाजीराव उमावि. इंदौर/शा. बा.उमावि. सोनकच्छ, देवास म.प्र.।
8. श्रीमती रत्ना गोल्छा, व्याख्याता (रसायन शास्त्र) शास. महाराजा शिवाजीराव उमावि. इंदौर म.प्र. प्रतिवेदन प्राचार्य/जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से तत्काल उपलब्ध करावें।
9. स्टॉफ आफिसर आयुक्त लोक शिक्षण म.प्र. भोपाल।



आयुक्त

लोक शिक्षण, म.प्र.

लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश

गौतम नगर, भोपाल-462 021

दूरभाष : 0755-2583650, फ़ैक्स: 0755-2583651


ई-मेल - dpi mp@sancharnet.in

क्रमांक/स्था-2/सी/स्था.संशो./निर./29/11/ 1542 भोपाल, दिनांक 12.10.11

:: आदेश ::

श्रीमती उपासना अग्रवाल, व्याख्याता (रसायन शास्त्र) शास. उमावि. गवली पलासिया, इंदौर का स्वैच्छिक स्थानांतरण संचालनालय लोक शिक्षण के आदेश क्रमांक/स्था-2/सी/स्था./15बी/2011/782-783 दिनांक 07.06.2011 के सरल क्रमांक 02 अनुसार शा. महाराजा शिवाजीराव उमावि. इंदौर के लिये किया गया था। स्थानांतरित संस्था में अतिशेष की स्थिति उत्पन्न हो जाने के कारण किया गया स्थानांतरण निरस्त करने का प्रस्ताव समन्वय में मान. मुख्यमंत्री जी के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

उक्तानुसार प्राप्त अनुमोदन के प्रकाश में श्रीमती उपासना अग्रवाल, व्याख्याता (रसायन शास्त्र) शास. उमावि. गवली पलासिया, इंदौर का स्वैच्छिक आधार पर किया गया स्थानांतरण आदेश क्रमांक/स्था-2/सी/स्था./15बी/2011/782-783 दिनांक 07.06.2011 निरस्त करते हुए इनकी पदस्थापना यथावत शास. उमावि. गवली पलासिया, इंदौर में मान्य की जाती हैं।



आयुक्त

लोक शिक्षण, म.प्र.

पृ. क्र./स्था-2/सी/स्था.संशो./निर./29/11/ 1543 भोपाल, दिनांक 12.10.11

प्रतिलिपि:-

- 1 निज सहायक मान. मंत्रीजी स्कूल शिक्षा/राज्य मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.शासन मंत्रालय भोपाल।
- 2 प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
- 3 कलेक्टर जिला इंदौर म.प्र.।
- 4 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत इंदौर म.प्र.।
- 5 संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण इंदौर संभाग, इंदौर म.प्र.।
- 6 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला इंदौर एवं
- 7 प्राचार्य, शास. महाराजा शिवाजीराव उमावि. इंदौर म.प्र. की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि तत्काल उक्तानुसार पालन कराकर पालन प्रतिवेदन से 07 दिवस की समयावधि में अवगत करायें। यदि श्रीमती अग्रवाल द्वारा कार्यभार ग्रहण कर लिया गया हो तो उन्हें एकतरफा पूर्व संस्था हेतु कार्यमुक्त करें क्योंकि शा. महाराजा शिवाजीराव उमावि. इंदौर में अतिशेष की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
- 8 प्राचार्य, शास. उमावि. गवली पलासिया, इंदौर म.प्र.।
- 9 श्रीमती उपासना अग्रवाल, व्याख्याता (रसायन शास्त्र) शास. उमावि. गवली पलासिया, इंदौर म.प्र.
- 10 स्टॉफ आफिसर आयुक्त लोक शिक्षण म.प्र. भोपाल।



आयुक्त

लोक शिक्षण, म.प्र.

लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश

गौतम नगर, भोपाल-462 021

दूरभाष : 0755-2583650, फ़ैक्स: 0755-2583651
ई-मेल - dpi mp@sancharnet.in

क्रमांक/स्था-2/सी/स्था.संशो./निर./29/11/1544 भोपाल, दिनांक 12.10.11

:: आदेश ::

श्री के.सी. गुप्ता, व्याख्याता (अंग्रेजी) शास. उमावि. क्र. 1, देवास का प्रशासनिक स्थानांतरण संचालनालय लोक शिक्षण के आदेश क्रमांक/स्था-2/सी/स्था./15/2011/784-785 दिनांक 07.06.2011 के सरल क्रमांक 08 अनुसार शा. उमावि. भौरासा, देवास के लिये किया गया था। इस स्थानांतरण आदेश के विरुद्ध श्री गुप्ता द्वारा एक अभ्यावेदन दिनांक 02.07.11 प्रस्तुत कर पारिवारिक कारणों से किया गया स्थानांतरण निरस्त करने का अनुरोध किया गया। अभ्यावेदन पर विचार करत हुए किया गया स्थानांतरण निरस्त करने का प्रस्ताव समन्वय में मान. मुख्यमंत्री जी के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

उक्तानुसार प्राप्त अनुमोदन के प्रकाश में श्री के.सी. गुप्ता, व्याख्याता (अंग्रेजी) शास. उमावि. क्र. 1, देवास का प्रशासनिक आधार पर किये गये स्थानांतरण आदेश क्रमांक/स्था-2/सी/स्था./15/2011/784-785 दिनांक 07.06.2011 निरस्त करते हुए इनकी पदस्थापना यथावत शास. उमावि. क्र. 1, देवास में मान्य की जाती है।

आयुक्त

लोक शिक्षण, म.प्र.

पृ. क्र./स्था-2/सी/स्था.संशो./निर./29/11/1545 भोपाल, दिनांक 12.10.11
प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक मान. मंत्रीजी स्कूल शिक्षा/राज्य मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.शासन मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
3. कलेक्टर जिला देवास, म.प्र.।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत देवास, म.प्र.।
5. संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण उज्जैन संभाग, उज्जैन म.प्र.।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला देवास, म.प्र. की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि नत्काल उक्तानुसार पालन कराकर पालन प्रतिवेदन से 07 दिवस की समयावधि में अवगत करायें।
7. प्राचार्य, शास. उमावि. क्र. 1, देवास /शा. उमावि. भौरासा, देवास म.प्र.।
8. श्री के.सी. गुप्ता, व्याख्याता (अंग्रेजी) शास. उमावि. क्र. 1, देवास म.प्र.।
9. स्टॉफ आफिसर आयुक्त लोक शिक्षण म.प्र. भोपाल।

आयुक्त

लोक शिक्षण, म.प्र.

लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश

गौतम नगर, भोपाल-462 021

दूरभाष : 0755-2583650, फ़ैक्स: 0755-2583651


ई-मेल - dpi mp@sancharnet.in

क्रमांक/स्था-2/सी/स्था.संशो./निर./29/11/ 1546 भोपाल, दिनांक 12.10.11

:: आदेश ::

श्री मुकेश कुमार जैन, व्याख्याता (गणित) शास. बा.उ.मावि. क्र. 2, नीमच का प्रशासनिक स्थानांतरण संचालनालय लोक शिक्षण के आदेश क्रमांक/स्था-2/सी/स्था./20/2011/1122-1123 दिनांक 20.07.2011 द्वारा शा. उमावि. नारायणगढ, मंदसौर के लिये किया गया था । इस स्थानांतरण आदेश के विरुद्ध श्री जैन द्वारा एक अभ्यावेदन प्रस्तुत कर पारिवारिक कारणों से किया गया स्थानांतरण निरस्त/संशोधित करने का अनुरोध किया गया । अभ्यावेदन पर विचार करते हुए किया गया स्थानांतरण संशोधित करने का प्रस्ताव समन्वय में मान. मुख्यमंत्री जी के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया ।

उक्तानुसार प्राप्त अनुमोदन के प्रकाश में श्री मुकेश कुमार जैन, व्याख्याता (गणित) शास. बा. उमावि. क्र. 2, नीमच का प्रशासनिक आधार पर किये गये स्थानांतरण आदेश क्रमांक/स्था-2/सी/स्था./20/2011/1122-1123 दिनांक 20.07.2011 को संशोधित करते हुए पदपूर्ति हेतु इनकी पदस्थापना शा. क.उमावि. जावद, नीमच में की जाती हैं ।



आयुक्त

लोक शिक्षण, म.प्र.

पृ. क्र./स्था-2/सी/स्था.संशो./निर./29/11/ 1547 भोपाल, दिनांक 12.10.11
प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक मान. मंत्रीजी स्कूल शिक्षा/राज्य मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.शासन मंत्रालय भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल ।
3. कलेक्टर जिला नीमच/मंदसौर, म.प्र. ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत नीमच/मंदसौर, म.प्र. ।
5. संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण उज्जैन संभाग, उज्जैन म.प्र. ।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला नीमच/मंदसौर, म.प्र. की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि तत्काल उक्तानुसार पालन कराकर पालन प्रतिवेदन से 07 दिवस की समयावधि में अवगत करायें ।
7. प्राचार्य, शास. बा.उमावि. क्र. 2, नीमच /शा. उमावि. नारायणगढ, मंदसौर, म.प्र. ।
8. श्री मुकेश कुमार जैन, व्याख्याता (गणित) शास. बा.उमावि. क्र. 2, नीमच ।
9. स्टॉफ आफिसर, आयुक्त लोक शिक्षण म.प्र. भोपाल ।



आयुक्त

लोक शिक्षण, म.प्र.